रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 1973/फाल्गुन 25, 1894
No. 63] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 1973/PHALGUNA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 16th March 1973

G.S.R. 172(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 175/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972, namely:—

In the said notification, for item (i) of the Explanation, the following item shall be substituted, namely:—

"(i) the expression "proposed" means any process which is ordinarily conducted with the aid of machines whether operated with or without the aid of power or steam, other than,—

(a) calendering with plain rollers;

(b) singeing, that is to say, burning away of knots and loose ends in the fabric;

(c) padding, that is to say, application of natural starch to one or both sides of the fabric;

(d) back-filling, that is to say, application of starch to one side of the fabric;

(e) padding, that is to say, application of natural starch to one or both sides fabric; and

(f) hydro-extraction, that is to say, mechanically extracting or mechanically squeezing out water from the fabric;"

[No. 97/73.]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1973

सा० का नि० 172 (अ):—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 175/72 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 24 जुलाई, 1972 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण की मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :—

(1) "प्रसंस्कृत" अभिव्यक्ति से ऐसी मशीनों की सहायता से जो भले ही बिजली या भाप से या उसके बगैर चलाई जाती हो, समान्यतः चलाई जाने वाली कोई प्रक्रिया, परन्तु निम्न से भिन्न, अभिप्रेत है : —

(क) सादे रोलरों से इस्त्री करना,

(ख) सिगइंग अर्थात् फैब्रिक की गुत्थियों और ढ़ीले किनारों को जला डालना ?

(ग) पैडिंग अर्थात फैब्रिक के एक अथवा दोनों तरफ प्राकृतिक स्टार्च लगाना ,

(घ) बैक फिलिंग अर्थात फैब्रिक के एक तरफ स्टार्च लगाना ?

(ङ) क्रोपिंग अर्थात फैब्रिक के ढ़ीले किनारों को मशीन द्वारा काटना ; और

(च) हाइड्रो—एक्सट्रेक्शन अर्थात् मशीन द्वारा फैब्रिक से पानी निकालना।

[सं० 97/73]

बी० के० अग्रवाल, अवरसचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI, 1973